TO 16/6/22

Court
16/6/2022

कार्यालय उप तहसीलदार (भू.अ.) डेह जिला –नागौर

क्रमांक : भू.अ./2022/617 दिनांक : 15-06-22

प्रेषित :– उपखण्ड अधिकारी

श्रीमान ~~तहसीलदार~~ महोदय

जायल –नागौर

विषय :– राजस्व वाद संख्या 141/2021 में प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना भिजवाने बाबत्

प्रसंग :– आपका पत्रांक : भू.अ./प्राथमिक डिक्री /2022/2682 दिनांक 31.3.22

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला –नागौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 141/2021 अनवान ...... राजसिंह ...... बनाम तीजकंवर ...... मे प्राथमिक डिक्री जारी की गई है श्रीमान के प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 7/3/2022 की पालना में हल्का पटवारी आंवलियासर एव भू–अभिलेख निरीक्षक कंपड़िया के साथ तैयार किया गया बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर श्रीमान की सेवामें अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव दो प्रतियों में ।

उप तहसीलदार डेह
जिला नागौर

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं शक्तिसिंह ....(नाम) उप तहसीलदार ...डेह...... न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ...जायल.... के आदेश कमांक 2.6.82... दिनांक 31:3:21 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 13:06:22 समय 10:00AM बजे आराजी खसरा नम्बर-.68.87.91 वगैरह वाके ग्राम कोडरासर पटवार हल्का आंवलियासर. पर श्री ...कैलाश....... नायब तहसीलदार / भू. अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, जायल........ में विचाराधीन प्रकरण संख्या-.141/2021.... के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 457 to 164 दिनांक 6-05-22........ द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी	
1.	गंगासिंह पुत्र रिछपालसिंह			राजपुत	वादीगण 1	गंगासिंह
2.	कल्याणसिंह पुत्र	—॥—		—॥—	—॥— 2	
3.	मनोहरसिंह पुत्र	—॥—		—॥—	—॥— 3	मनोहरसिंह
4.	रामसिंह पुत्र कल्याणसिंह			—॥—	प्रतिवादी 2	रामसिंह
5.	मंजुकंवर पत्नी रघुवीरसिंह			—॥—	—॥— 3	मंजुकंवर

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

	ख.न.	रकबा (हैक्टर)	दिशा
(1) वादी सं. 1. गंगासिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत सा. डेह	478/68	1.1088	सम्पूर्ण
	479/68	1.1088	—॥—
	480/68	1.1088	—॥—
	477/68	0.0041	पूर्वी भाग
	04	3.3305	—
(2) प्रतिवादी सं. 3 मंजुकंवर पत्नी रघुवीरसिंह जाति राजपूत सा. डेह	477/68	1.1088	मध्य भाग नजरी नक्शानुसार
	01	1.1088	

प्रतिवादी सं. 1 तीजकंवर का मौके पर कोई खेत हिस्से में नहीं रखा जाता है एवं मौके पर उपस्थित नहीं हुए नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। वादी सं. 4 एवं 5 क्रमशः गजेन्द्रसिंह, प्रतापसिंह मौके पर उपस्थित नहीं हुए।

(हस्ताक्षर)
महेन्द्र कुमिया
पटवारी (भू.अ.)
प.म. आंवलियासर
तह.-जायल (नागौर)
13-6-22

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
उप तहसीलदार
डेह (नागौर)

लगातार-2

	ख.नं.	रकबा (हैक्टर)	दिशा
(3) वादी सं. 3 मनोहरसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत सा. देह	68	1.1088	सम्पूर्ण
	471/68	1.1129	पश्चिमी भाग
	02	2.2217	-
(4) वादी सं. 2 कल्याणसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत सा. देह	484/91	0.4046	दक्षिणी भाग
	483/91	0.6151	सम्पूर्ण
	482/91	0.6151	—"—
	91	0.6151	—"—
	87	0.4102	उत्तरी भाग
	05	2.6601	-
(5) वादी सं. 5 प्रतापसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत सा. देह	87	1.0305	दक्षिणी भाग
	487/87	2.8652	सम्पूर्ण
	488/87	0.2051	उत्तरी भाग
	03	4.1008	-
(6) वादी सं. 4 गजेन्द्रसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत सा. देह	488/87	1.2356	दक्षिणी भाग
	489/87	1.4326	सम्पूर्ण
	490/87	1.4326	सम्पूर्ण
	03	4.1008	-
(7) प्रतिवादी सं. 2 रामसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत सा. देह	485/91	0.6151	सम्पूर्ण
	484/91	0.8256	उत्तरी भाग
	02	1.4407	-

उपरोक्तानुसार बंटवारा का नजरी नक्शा तैयार किया गया जो कि बंटवारा प्रस्ताव का भाग है तथा मौका रिपोर्ट के संलग्न है।

महेन्द्र कुमिया
पटवारी (भू.अ.)
प.ह. [illegible]
तह.-जायल (नागौर)
13-6-22

उप तहसीलदार
देह (नागौर)

ग्राम - बागरासर तहसील जायल

बंटवारा प्रस्ताव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला - नागौर के राजस्व वाद संख्या 141/2021 निर्णय दि: 7/3/22 प्राथमिक डिक्री

गंगा सिंह   मनोहर सिंह   रामसिंह

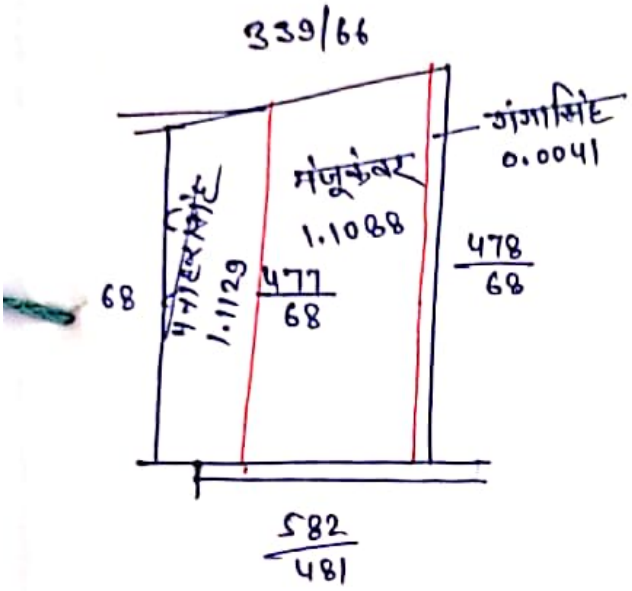

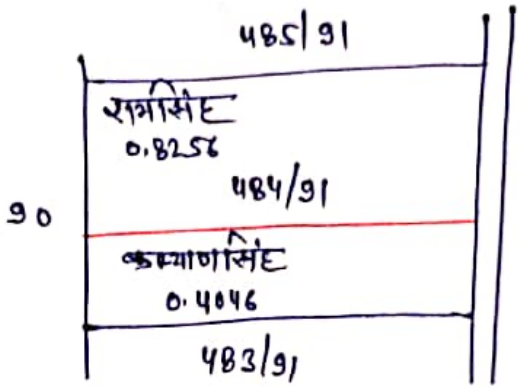

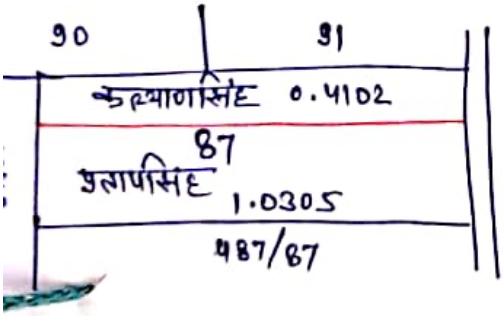

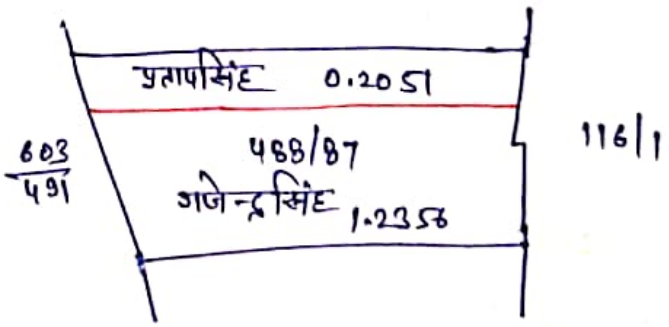

मंजु कवर

महेन्द्र ...
पटवारी (भू.अ.)
प.ग. बागरासर
तह.-जायल (नागौर)
12-6-22

उप तहसीलदार
... (नागौर)

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	गंगासिंह पुत्र	रिछपालसिंह	राजपूत		प्रतिवादी
2.	कल्याणसिंह पुत्र	—॥—	—॥—		वादी सं. 1
3.	मनोहरसिंह पुत्र	—॥—	—॥—		वादी सं. 2
4.	रामसिंह पुत्र	कल्याणसिंह	—॥—		वादी सं. 3
5.	मंजुकंवर पत्नी	रघुवीरसिंह	—॥—		प्रतिवादी 2
					प्रतिवादी 3

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
	Nil				

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
1.	गिरधरसिंह पुत्र	रेनसिंह	32 वर्ष	राजपूत	9368866050
2.	लिछमणसिंह पुत्र	उदयसिंह	52 वर्ष	राजपूत	8769424086

अ.नि. लिछमणसिंह

इस प्रकार आज दिनांक .... को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत

हस्ताक्षर
उप तहसीलदार
....

हस्ताक्षर
तहसीलदार
....

महेन्द्र कुचिया
पटवारी (भू.अ.)
[illegible]
-जायल (नागौर)
13-6-22

उप तहसीलदार
[illegible] (नागौर)

कार्यालय उप तहसीलदार (भू.अ.) डेह जिला नागौर

क्रमांक भू.अ. / 2022 457 to 464 दिनांक 6-5-2022

प्रति

वादीगण –

1. गंगासिंह पुत्र दिग्पालसिंह
2. कल्याणसिंह पु० —"—
3. गजेन्द्रसिंह पु० —"— राजपूत वगैरह।
4. समस्त निवासीगण बागरासर तहसील जायल जिला नागौर

विषय :- मु.न. 141/2021 गंगासिंह वगैरह VS तीजकंवर वगैरह में प्राथमिक डिक्री के पालना बाबत मौके पर उपस्थित रहने के सन्दर्भ में

प्रसंग :- श्रीमान तहसीलदार साहब जायल का पत्रांक : भू.अ. /2022/2682 दिनांक 31.3.22 .... के सन्दर्भ में

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल द्वारा मुकदमा संख्या 141/2021 उनवान गंगासिंह बनाम तीजकंवर वगैरह में 7/3/22 को आदेश [illegible] पारित कर प्राथमिक डिक्री जारी कर उसकी पालना मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाने बाबत निर्देशित किया गया है। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल के आदेश की पालना मे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा [illegible] पक्षकारान की उपस्थिति मे दिनांक .... को दोपहर .... बजे मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जावेगा। अतः आपको जरिये इस पत्र के सूचित किया जाता है निर्धारित तिथि को नियत समय पर मौके पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करे जिससे के माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया जा सके।

वादी नं. 4 व 5 क्रमश: गजेन्द्रसिंह व प्रतापसिंह तथा प्रतिवादी संख्या एक तीजकंवर जयपुर निवास करते है। वर्तमान में ग्राम बागरासर में उपस्थित नहीं मिले।

उप तहसीलदार
डेह (नागौर)
(शक्ति सिंह [illegible])
उप तहसीलदार डेह
जिला नागौर

राजपाल

गंगासिंह [illegible] मनोहरसिंह

मंजुकवर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 141/2021

वादीगण–

1. गंगासिंह पुत्र रिछपालसिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र रिछपालसिंह
3. मनोहरसिंह पुत्र रिछपालसिंह
4. गजेन्दसिंह पुत्र रिछपालसिंह
5. प्रतापसिंह पुत्र रिछपालसिंह

जातियान–राजपूत निवासीगण – बागरासर ,तहसील जायल जिला– (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. तीज कंवर पत्नी रिछपालसिंह
2. रामसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. मंजु कंवर पत्नी रघुवीरसिंह

जातियान–राजपूत निवासीगण – बागरासर ,तहसील जायल जिला– (नागौर)

4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।
5. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा जोधियासी, नागौर।
6. इंडियन बैंक शाखा नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित ।
4. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 परफोंमा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 04/7/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण संख्या 1 से 5 सगे भाई है। प्रतिवादी संख्या 1 इनकी माता है जो सभ स्व.रिछपालसिंह के उतराधिगण है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 इनके ही परिवार के हैं जो विभिन्न खातेदारों के हिस्सों में से जमीनों के खरीददार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के पास हिस्सेदारों के हिस्से रहन है। इसलिये इन्हे भी पक्षकार बनाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां मौजा बागरासर तहसील जायल में खसरा नंबर 68 , खसरा नंबर 87 , खसरा नंबर 91 आये हुऐ हैं। इनके अलावा इनके एक खेत खसरा नंबर 59 और है लेकिन उस खेत का विभाजन अभी नहीं कर रहे हैं इसलिये वह खेत

04/7/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

इस दावा की विषय वस्तु नहीं हैं। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमियों का विभाजन कागजी तौर पर कुछ वर्ष पहले खाते छोटे करने के हिसाब से कर लिये थें। लेकिन उस समय अंतिम रूप से विभाजन मौके पर नहीं किया गया था। उस कागजी विभाजन के अनुसार वादी संख्या 1 गंगासिंह के बंट में मौजा बागरासर के खेत खसरा नंबर 480/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर , खसरा नंबर 490/87 रकबा 1.4326 तथा खसरा नंबर 91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर रखे थे। वादी संख्या 2 कल्याणसिंह के हक बंट में मौजा बागरासर के खेत खसरा नंबर 445/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 68 रकबा 1.1083 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 87 रकबा 1.4407 हैक्टेयर रखे थे। वादी संख्या 3 मनोहरसिंह के बंट में मौजा बागरासर के खेत खसरा नंबर 483/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, खसरा नंबर 488/87 रकबा 1.4407 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 478/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर रखे थे। वादी संख्या 4 गजेन्दसिंह के हक बंट में मौजा बागरासर के खेत खसरा नंबर 479/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर , खसरा नंबर 482/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर व खसरा नंबर 489/87 रकबा 1.4326 हैक्टेयर रखे थें। वादी संख्या 5 प्रतापसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 1 तीज कंवर के संयुक्त हक बंट में मौजा बागरासर के खेत खसरा नंबर 477/68 रकबा 2.2258 हैक्टेयर व खसरा नंबर 484/91 रकबा 1.2302 हैक्टेयर व खसरा नंबर 487/87 रकबा 2.8652 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 66/276 रकबा 0.3157 हैक्टेयर रखे गये थे। इन तीनों ही मूल खसरों में आधा हिस्सा वादीगण के काका श्री उम्मेदसिंह का है जिनके अलग खसरा न बर 481/68, 486/91 तथा 491/87 पड गये जो अपने स्थान पर सही है। लेकिन अब पक्षकारान् के अंतिम रूप से अपने खेतों का विभाजन गत वर्ष कर लिया हैं तथा लेकिन मौके पर किये गये विभाजन तथा पूर्व में किये गये कागजी विभाजन में भिन्नता होने के कारण जमाबंदियों में इन्द्राज अस्त व्यस्त हो गये। हालांकि पक्षकार इतने दिनों तक खेती शामलाती ही करते थे। तथा भूमियों का विभाजन किया हुआ नहीं था। यह खेताय अलग गलत रूप से वादीगण तथा प्रतिवादीसंख्या 1 के द्वारा खाते छोटे करने के उदेश्य से ही किया गया था। यह इन्द्रांज अब पक्षकारों द्वारा मौके पर किये गये विभाजन के विपरित है। इसलिये यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी तथा रेकर्ड दुरूस्ती के लिये पेश किया जाना आवश्यक हो जाने से पेश किया जा रहा है। विभिन्न भूमियां प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पास रहन है अतः उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है। इनमें से वादी संख्या 2 कल्याणसिंह ने खसरा नंबर 87 का बेचान प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया तथा वादी संख्या 3 मनोहर सिंह ने अपने नाम के खसरा नंबर 478/68 का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 के नाम कर दिया था। अतः उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है। इतने समय तक वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 भूमियों पर शामिल ही कास्त कर रहे थें। लेंकिन अब गत वर्ष पक्षकारान् द्वारा घरेलू तौर पर अपने भूमियों का अतिंम विभाजन कर लिया है। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 गंगा सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर के मूल खसरा नंबर 68 जो अब खसरा नबंर 480/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर व खसरा नंबर 68 रकबा 1.1083 हैक्टेयर व खसरा नंबर 478/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर व खसरा नंबर 479/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर व खसरा नंबर 477/68 रकबा 2.2258 हैक्टेयर के रूप में है का आधा पूर्वी भाग रखा गया है। वादी संख्या 2 कल्याणसिंह के हक बंट में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 91 में से उम्मेदसिंह के बंट के उतरी आधे भाग

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नोखा

को छोडकर शेष सम्पूर्ण रकबा जो मूल खसरा नंबर 91 जो अब खसरा नंबर 91 रकबा 0.6151, खसरा नंबर 485/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर व खसरा नंबर 483/91 रकबा 06151 हैक्टैयर व खसरा नंबर 482/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर व खसरा नंबर 482/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर व खसरा नंबर 484/91 रकबा 1.2302 हैक्टेयर व खसरा नंबर 484/91 रकबा 1.2302 हैक्टेयर के रूप में दर्ज है तथा मूल खसरा नंबर 87 के सम्पूर्ण रकबे जो अब खसरा नंबर 490/87 रकबा 1.4326 हैक्टेयर व खसरा नंबर 489/87 रकबा 1.4326 हैक्टैयर व खसरा नंबर 488/87 रकबा 1.4407 हैक्टैयर व खसरा नंबर 487/87 रकबा 2.8652 हैक्टेयर व खसरा नंबर 87 रकबा 1.4407 हैक्टेयर के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बंट का है में से सबसे उतरी भाग रकबा 0.0512 हैक्टेयर रखा जावे।वादी संख्या 3 मनोहरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मूल खसरा नंबर 68 जो अब खसरा नंबर 480/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर , खसरा नंबर 68 रकबा 1.1083 हैक्टयर , खसरा नंबर 478/68 रकबा 1.1088 हैक्टयेर ,खसरा नंबर 479/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर व खसरा नंबर 477/68 रकबा 2.2258 हैक्टेयर के रूप में है का आधा पश्चिमी भाग रखा जावे व इसमें से उनके द्वारा बेचान किय गये खसरा नंबर 478/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर मंजु कंवर के यथावत रखा जावे। वादी संख्या 4 गजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का मूल खसरा नंबर 87 के सम्पूण रकबे जो अब खसरा नंबर 490/87 रकबा 1.4326 हैक्टेयर , खसरा नंबर 489/87 रकबा 1.4326 हैक्टेयर , खसरा नंबर 488/87 रकबा 1.4407 हैक्टेयर, खसरा नंबर 487/87 रकबा 2.8652 हैक्टेयर व खसरा नंबर 87 रकबा 1.4407 हैक्टेयर के रूप में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट का है , में से दक्षिणी भाग 4.0711 हैक्टैयर भाग रखा जावें जो कल्याणसिंह के बंट के अलावा रकबे का आधा हिस्सा है। वादी संख्या 5 प्रताप सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का मूल खसरा नंबर 87 के सम्पूर्ण रकबे जो अब खसरा नंबर 490/87 रकबा 1.4326 हैक्टेयर , खसरा नंबर 489/87 रकबा 1.4326 हैक्टेयर व खसरा नंबर 488/87 रकबा 1.4407 हैक्टेयर, खसरा नंबर 487/87 रकबा 2.8652 हैक्टेयर , खसरा नंबर 87 रकबा 1.4407 हैक्टैयर के रूप में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट का है , में से मध्य भाग 4.0711 हैक्टेयर भाग रखा जावे जो कल्याणसिंह के बंट के अलावा रकबे का आधा हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में इन खेतों में से कोई भी भाग नही रखा गया है। उनके बंट में खसरा नंबर 59 में से रखा जायेगा। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का खरीद सुदा रकबा उनके बंट में यथावत रहेगा। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 21.09.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर ईकबालिया जबाब पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

श्री इस्लामुदीन काजी ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर अप्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह गंगासिंह पुत्र रिछपालसिंह, कन्हैयालाल पुत्र लक्ष्मणराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम बागरासर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 58 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी ग्राम बागरासर तहसील जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 25 प्रदर्श–2 , नकल जमाबंदी ग्राम बागरासर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 186 प्रदर्श– 3, नकल जमाबंदी ग्राम बागरासर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 60 प्रदर्श– 4, नकल जमाबंदी ग्राम बागरासर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 141 प्रदर्श– 5, नकल जमाबंदी ग्राम बागरासर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 226 प्रदर्श– 6, नकल जमाबंदी ग्राम बागरासर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 305 प्रदर्श– 7, नकल जमाबंदी ग्राम बागरासर तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 56 प्रदर्श–8 तथा ग्राम बागरासर प्रति परत पी–35 कमांक 8570/22.03.2021 की प्रति पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 के 3 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 21.09.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 21.09.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा बागरासर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान् के अंतिम रूप से आपसी सहमति से अपने खेतों का विभाजन कर लिया है था लेकिन मौके पर किये गये विभाजन तथा पूर्व में किये गये कागजी विभाजन में भिन्नता होने व इन्द्रांज अब पक्षकारों द्वारा मौके पर किये गये विभाजन के विपरित होने से कारण अब पक्षकारान द्वारा पुनः मौजा बागरासर 68, 477/68, 478/68, 479/68,480/68, 91, 482/91, 483/91, 484/91, 485/91, 87, 487/87, 488/87, 488/87, 489/87, 490/87 का माफिक ईकबालिया जबाब अनुसार बंटवाड़ा चाहा है जिसमें मौजा बागरासर तहसील जायल के खेत खसरा नं. 68, 477/68, 478/68, 479/68,480/68, 91, 482/91, 483/91, 484/91, 485/91, 87, 487/87, 488/87, 488/87, 489/87, 490/87 जो पूर्ण रूपेण से विभाजित नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 68, 477/68, 478/68, 479/68,480/68, 91, 482/91, 483/91, 484/91, 485/91, 87, 487/87, 488/87, 488/87, 489/87, 490/87 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा बटवाडे में हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने व पूर्व में सहमति से हुवे खाता विभाजन में मौके एवं कागजी विभाजन में भिन्नता होने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 07.03.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.) जायल

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 07.03.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 617 दिनांक 15.6.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी गंगासिंह, कल्याणसिंह, मनोहरसिंह, रामसिंह, मंजुकंवर ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। प्रतिवादी संख्या 4व 5 गजेन्द्रसिंह, प्रतापसिंह मौके पर अनुपस्थित रहें। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाडा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान गिरवरसिंह व लिछमणसिंह तथा भू.अभि.निरीक्षक कमेड़िया की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 1 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः मौजा बागरासर के खेत खसरा नं. 68, 477/68, 478/68, 479/68,480/68, 91, 482/91, 483/91, 484/91, 485/91, 87, 487/87, 488/87, 488/87, 489/87, 490/87 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बागरासर के खेत खसरा नं. 68, 477/68, 478/68, 479/68,480/68, 91, 482/91, 483/91, 484/91, 485/91, 87, 487/87, 488/87, 488/87, 489/87, 490/87 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 गंगा सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर के मूल खसरा नंबर 68 जो अब खसरा नबंर 480/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 478/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 479/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 477/68 रकबा 2.2258 हैक्टेयर में से 0.0041 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 कल्याणसिंह के हक बंट में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 484/91 रकबा 0.4046 हैक्टेयर दक्षिणी भाग व खसरा नंबर 483/91 रकबा 0.6151 हैक्टैयर पूरा व खसरा नंबर 482/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर पूरा व व खेत खसरा नंबर 91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर पूरा व खसरा खसरा नंबर 87 रकबा 0.4102 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.) जायल

3. वादी संख्या 3 मनोहरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मूल खसरा नंबर 68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 477/68 रकबा 2.2258 हैक्टेयर में से 1.1129 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया हैं।
4. वादी संख्या 4 गजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 489/87 रकबा 1.4326 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 488/87 रकबा 1.2356 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 490/88 रकबा 1.4326 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. वादी संख्या 5 प्रताप सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 87 रकबा 1.0305 दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 488/87 रकबा 0.2051 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नंबर 487/87 रकबा 2.8652 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नही रखी गयी है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।
7. प्रतिवादी संख्या 2 रामसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 485/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 484/91 रकबा 0.8256 उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
8. प्रतिवादी संख्या 3 मंजुकंवर पत्नी रघुवीरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 477/68 रकबा 1.1088 हैक्टैयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
9. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
10. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित होकर रिकार्ड अद्यतन हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 04/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 141/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/244
गंगासिंह वगैरह बनाम् तीज कंवर वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 141/2021

वादीगण–

1. गंगासिंह पुत्र रिछपालसिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र रिछपालसिंह
3. मनोहरसिंह पुत्र रिछपालसिंह
4. गजेन्दसिंह पुत्र रिछपालसिंह
5. प्रतापसिंह पुत्र रिछपालसिंह

जातियान–राजपूत निवासीगण – बागरासर ,तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. तीज कंवर पत्नी रिछपालसिंह
2. रामसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. मंजु कंवर पत्नी रघुवीरसिंह

जातियान–राजपूत निवासीगण – बागरासर ,तहसील जायल जिला–नागौर।

4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।
5. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा जोधियासी, नागौर।
6. इंडियन बैंक शाखा नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री इस्लामुदीन काजी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित ।
4. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 परफोंमा पक्षकार।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा हाजरी श्री इस्लामुदीन काजी व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बागरासर के खेत खसरा नं. 68, 477/68, 478/68, 479/68,480/68, 91, 482/91, 483/91, 484/91, 485/91, 87, 487/87, 488/87, 488/87, 489/87, 490/87 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

04/7/2022
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

1. वादी संख्या 1 गंगा सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर के मूल खसरा नंबर 68 जो अब खसरा नबंर 480/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 478/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 479/68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 477/68 रकबा 2.2258 हैक्टेयर में से 0.0041 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 कल्याणसिंह के हक बंट में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर खसरा नंबर 484/91 रकबा 0.4046 हैक्टेयर दक्षिणी भाग व खसरा नंबर 483/91 रकबा 0.6151 हैक्टैयर पूरा व खसरा नंबर 482/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर पूरा व व खेत खसरा नंबर 91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर पूरा व खसरा खसरा नंबर 87 रकबा 0.4102 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 मनोहरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मूल खसरा नंबर 68 रकबा 1.1088 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 477/68 रकबा 2.2258 हैक्टेयर में से 1.1129 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा गया हैं।
4. वादी संख्या 4 गजेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 489/87 रकबा 1.4326 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 488/87 रकबा 1.2356 हैक्टेयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 490/88 रकबा 1.4326 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
5. वादी संख्या 5 प्रताप सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 87 रकबा 1.0305 दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 488/87 रकबा 0.2051 हैक्टेयर उतरी भाग, खसरा नंबर 487/87 रकबा 2.8652 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नही रखी गयी है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।
7. प्रतिवादी संख्या 2 रामसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 485/91 रकबा 0.6151 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नंबर 484/91 रकबा 0.8256 उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
8. प्रतिवादी संख्या 3 मंजुकंवर पत्नी रघुवीरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा बागरासर का खेत खसरा नंबर 477/68 रकबा 1.1088 हैक्टैयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
9. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
10. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित होकर रिकार्ड अद्यतन हो। **(रहन होने पर)**

निर्णय आज दिनांक 04/7/2022 मेरे मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

04/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/7/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

04/7/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)